

Request form for opening of Term Deposit (s)/सावधि जमा खोलने के लिए अनुरोध प्रपत्र

Branch

शाखा

Date of a/c opening

खाता खोलने की तिथि

Resident ☐ Non Resident ☐ Cust. ID No.

Deposit Account No.

निवासी ☐ अनिवासी ☐ ग्राहक आईडी संख्या जमा खाता सं.

☐ Type of Deposit
जमा का प्रकार

Period (Days/Months/Year)
(दिन / महीना / साल)

Rate of Interest % P.A.
ब्याज़ दर % प्रति वर्ष

☐ CD सी डी ☐ STD एस टी डी ☐ MIDS एम आई डी एस ☐ QIDS क्यू आई डी एस ☐ Tax Saver टैक्स सवर ☐ RD आर डी ☐ Other अन्य

ACCOUNT SUB-TYPE ☐ PUBLIC सार्वजनिक ☐ SENIOR CITIZEN वरिष्ठ नागरिक ☐ STAFF स्टाफ ☐ SALARY सैलरी ☐ Other अन्य

खाता-उप किस्म

Please open Fixed Deposit account in the name(s) of
कृपया निम्नलिखित नाम(मों) में सावधि जमा खाता खोलें

APPLICANT आवेदक

NAME नाम

PAN No. पैन संख्या

Applicant 1

आवेदक (1)

Applicant 2

आवेदक (2)

Applicant 3

आवेदक (3)

Mode of Operation ☐ Self स्वयं ☐ Either or Survivor दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी ☐ Anyone or Survivor कोई एक या उत्तरजीवी ☐ Others..... अन्य

संचालन का तरीका

☐ Jointly by all सभी के द्वारा संयुक्त रूप से ☐ Minor a/c operated by Guardian अभिभावक द्वारा संचालित अवयस्क का खाता

CHEQUE NO. चेक संख्या	Bank's Name बैंक का नाम	Branch शाखा	CASH/ TRANSFER नकद/अंतरण	₹ रुपए	AMOUNT राशि	Ps. पैसे

Please Debit my/our Saving/Current Account
कृपया मेरे/हमारे बचत/खाता/चालू खाता संख्या को डेबिट करें for the opening of fixed deposit Account.
सावधि जमा खाता खोलने के लिए

• Please pay interest at monthly/quarterly intervals/maturity by credit to SB/CA A/C
कृपया ब्याज/का भुगतान मासिक/त्रैमासिक अंतराल/परिपक्वता पर बचत/खाता/चालू खाता में जमा करेंके Banker Cheque/Cash
/बैंकर चेक/नकद द्वारा करें

1st Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

2nd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

3rd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

NOMINATION FORM (DA-1) नामांकित फार्म NOMINATION REGD NO. नामांकन पंजीकृत नं.

Nomination under Section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits.

बैंक में जमा राशि के संदर्भ में बैंकिंग कम्पनीज़ (नोमिनेशन) अधिनियम 1985 के नियम 2 (1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 45ZA के अधीन नामांकन
I/We
मैं/हम

Name(s) and Address(es) of depositor (s) जमा कर्ताओं के नाम तथा पते

nominate the following person to whom in the event of my / our minor's death the amount of the deposit may be returned by Capital Small Finance Bank Limited
मेरे/हमारे नाबालिग की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, जमाकर्ता की जमा राशि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को वापस देने के लिए नामांकित करता हूँ/करते हैं।
 Branch शाखा

Nominee नामांकित व्यक्ति

Name नाम

Relationship with depositor (if any) :
जमाकर्ता के साथ संबंध (यदि कोई)

Address पता

I T Y S T A T E P I N

Date of birth (if nominee is minor) Age (yrs): आयु (वर्ष)
जन्मतिथि (यदि नामांकित व्यक्ति नाबालिग हो)

*As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kumar
इस तिथि पर नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, मैं / हम नियुक्त करते हैं श्री / श्रीमति / कुमार

Relationship with Nominee Age of Appointee (Years)
नामांकित के साथ संबंध नियुक्त व्यक्ति की आयु

To receive the amount of the deposit in the account on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee
मेरे / हमारे / अवयस्क की मृत्यु नामांकित व्यक्ति के अवश्यक रहने के दौरान होने की स्थिति में जमा राशि प्राप्त करने के लिए नामांकित की।

1st Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

2nd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

3rd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

Witness*** साक्षी***

Name नाम

Name नाम

***Signature हस्ताक्षर

Witness 1

***Signature हस्ताक्षर

Witness 2

Address पता

Address पता

* Strike out if nominee is not a minor, ** Where the deposit is made in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor. * यदि नियोक्ता नाबालिग नहीं है तो काट दें। ** यदि राशि नाबालिग के नाम से जमा की गई है तो नाबालिग की ओर से कानूनी रूप से कार्य करने के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

We acknowledge receipt of nomination made by you in favour of:

Name of the Nominee _____ Age: _____ Years.

with respect to Your A/c. No(s) _____

Nomination Regd. No _____ Date of Receipt form _____

Signature of bank official with seal

INSTRUCTIONS/निर्देश

S.No.

1. Thumb impression(s) shall be attested by two witnesses. अंगूठे के निशान की पुष्टि दो गवाहों द्वारा की जानी चाहिए।
2. In case of renewal without any change in the existing mode of operation, the relative account opening form be treated as valid and continuing. मौजूदा संचालन के तरीके में किसी भी बदलाव के बिना नवीनीकरण के मामले में, संबंधित खाता खोलने का प्रपत्र वैध और जारी माना जाएगा।
3. I/We agree that the proceeds of the deposit will be paid on the due date or on request, before the due date (subject to penal clause for premature payment as per RBI Guidelines and as per bank's policy.) मैं/हम सहमत हूँ कि जमा राशि का भुगतान निर्धारित तिथि पर या अनुरोध पर, निर्धारित तिथि से पहले किया जाएगा (आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक की नीति के अनुसार समयपूर्व भुगतान के लिए दंड खंड के अधीन)।
4. I/We also understand that, at the discretion of the bank, loan against the deposit may be given to the depositors, who are authorised to withdraw deposit, as per original mandate. मैं/हम यह भी समझते हैं कि बैंक के विवेक पर, उन जमाकर्ताओं को जमा राशि के विरुद्ध ऋण दिया जा सकता है, जो मूल अधिदेश के अनुसार जमा राशि निकालने के लिए अधिकृत हैं।
5. I/We authorize the bank to allow premature withdrawal of term/fixed deposits to the surviving Depositor (s) and in the case death of all account holders to the nominee, without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holders(s). The said mandate is applicable, if the operating clause of the account is "Either of Survivor" of "Former or Survivor" or "Any One or Survivor" or "Self". मैं/हम बैंक को, मृतक संयुक्त जमाकर्ता(ओं) के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना, उत्तरजीवी जमाकर्ता(ओं) को सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने के लिए और सभी खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में नामितों को सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने के लिए अधिकृत करते हैं। उक्त अधिदेश तब लागू होगा, जब खाते का संचालन खंड "दोनों" में से कोई एक या उत्तरजीवी" या "पूर्व या उत्तरजीवी" या "कोई एक या उत्तरजीवी" या "स्वयं" हो।
6. We authorize the bank to allow premature withdrawal of term/fixed deposits to the nominee, in case of death of all the account holders without seeking the concurrence of the legal heirs of the deceased joint deposit holder(s.) The said mandate is applicable if the operating clause of the account is "Jointly by all". हम बैंक को, सभी खाताधारकों की मृत्यु की स्थिति में, नामितों को मृतक संयुक्त जमाकर्ता(ओं) के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना सावधि/मियादी जमा की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने के लिए अधिकृत करते हैं। उक्त अधिदेश तब लागू होगा जब खाते का संचालन खंड "सभी द्वारा संयुक्त रूप से" हो।
7. Each depositor in a bank is insured upto a maximum of Rs. 5,00,000 (Rupees Five lakh) for both principal and interest amount बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता के लिए मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए अधिकतम 5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक का बीमा किया जाता है।
8. TDS Details for TD.: Deduct TDS (if applicable) Yes No If No, attach Form 15 G/H or Income Tax exemption letter. सावधि जमा के लिए टीडीएस विवरण: टीडीएस काटें (यदि लागू हो तो) हाँ नहीं, यदि नहीं तो, प्रपत्र 15 जी/एच या आयकर छूट पत्र संलग्न करें।
- No TDS shall be deducted where the aggregate amount of interest credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year does not exceed Rs. 40,000/- on Term deposits. However, the limit for senior citizen remains Rs. 50,000/- सावधि जमा पर वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई या जमा या भुगतान की जाने वाली ब्याज की कुल राशि 40,000/- से अधिक नहीं होने पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000/- रहेगी।
- The bank shall not be liable for any consequences or loss arising due to delay or non submission of form 15G/H. To enable us to serve you better, kindly submit the form 15 15G/H in triplicate within the first week every new financial year and for all subsequent deposit booked in the Financial Year. प्रपत्र 15जी/एच के विलंब से जमा होने या जमा न करने के कारण होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, कृपया प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में और वित्तीय वर्ष में बुक की गई सभी की जमाओं के लिए प्रपत्र 15जी/एच तीन प्रतियाँ में जमा करें।
- As per section 139A (5A) of the Income Tax Act, 1961 every person receiving any sum of income or amount from which tax has been deducted under the provisions of the Income Tax Act shall provide his PAN number to the person responsible for deducting such tax. in case the PAN No is not provided, the bank shall not be liable for the no availment of the credit of tax deducted at source आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए (5ए) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर कटौती की गई किसी भी आय या राशि को प्राप्त कर रहा है, उसे ऐसा कर काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन नंबर प्रदान करना होगा। पैन नंबर प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में, स्रोत पर काटे गए कर का क्रेडिट न मिलने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- TDS rates will be applicable in accordance with the provisions of income tax Act, 1961. and subject to change as per directives of Finance Ministry Govt. of India. टीडीएस दरें आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू होंगी और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन होंगी।
- I/we hereby give my consent to the processing of my Personal Information and Sensitive Personal Data or Information which I/we hereby voluntarily provide to the Bank and acknowledge that the shared Personal Information and Sensitive Personal Data or Information represents sensitive personal data or information within the meaning of Section 43A of Information Technology Act, 2000 and Section 3 of Information Technology (Reasonable Security Practice and Procedure and Sensitive Personal Data or Information) Rules, 2011 ("Data"). I/we hereby represent that I/we have been informed of the fact that my Bio-metrics and Data, will be processed and I/we hereby give my voluntary, unequivocal and informed consent hereto. I/we hereby give my consent to the Bank to disclose my/our Data to third parties/vendors and that the Bank shall be entitled to transfer such data or information in particular to the following categories of recipients not limited to the Bank's suppliers, the Bank's employees, providers of marketing and advertising services to the Bank, and other parties in other contractual relationship with the Bank. I/we further give my consent to the Bank to share my Data with Government Agencies/regulatory/statutory bodies mandated under the law as and when required to obtain information for the purpose of verification of identity, or for prevention of intrusion or spread of computer contaminant, detection, investigation, analysis, including cyber incidents/security, prosecution and punishment of offences related thereto. I/we have no objection to the Bank providing me information on various products, offers and services rendered by the Bank through any mode (including without limitation through telephone calls/SMS/E-mail) and authorize the Bank/ its group companies/ its agents/its representatives for the above purpose. I/we agree to indemnify and keep indemnified the Bank and the persons or entities from whom it may obtain, or with whom it may disclose or verify my Data free and harmless from any liability arising from the use of any such Data. I/we understand that the Bank reserves the right to amend or supplement this consent form with future effect at any time, as far as the changes made are in the interest of the Customer. I/we hereby have no objection and give my/our consent for receiving OTP (One Time Password) on my/our registered mobile number for the purpose of authentication of this consent form. मैं/हम एतद्वारा बैंक को स्वेच्छा से प्रदान की गई मेरी व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना के प्रसंस्करण के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ/हैं और स्वीकार करता/करती हूँ/हैं कि साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43ए और सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रिया एवं संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम, 2011 ("डेटा") की धारा 3 के अर्थ के भीतर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना का प्रतिनिधित्व करती है। मैं/हम एतद्वारा प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ/हैं कि मुझे/हमें इस तथ्य की जानकारी दी गई है कि मेरा बायोमेट्रिक्स और डेटा संसाधित किया जाएगा और मैं/हम एतद्वारा इसके लिए अपनी स्वीच्छक, स्पष्ट और सूचित सहमति देता/देती हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा बैंक को मेरा/हमारा डेटा तृतीय पक्षों/विक्रेताओं को प्रकट करने की सहमति देता/देती हूँ/हैं और यह कि बैंक ऐसे डेटा या सूचना को विशेष रूप से प्राप्तकर्ताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को स्थानांतरित करने का हकदार होगा जैसे कि बैंक के आपूर्तिकर्ताओं, बैंक के कर्मचारियों, बैंक को विपणन और विज्ञापन सेवाएं प्रदान करने वालों और बैंक के साथ अन्य संविदात्मक संबंध रखने वाले अन्य पक्षों इत्यादि। मैं/हम आगे बैंक को अपना डेटा सरकारी एजेंसियों/नियामक/सांविधिक निकायों के साथ साझा करने की सहमति देता/देती हूँ/हैं, जो कानून के तहत पहचान के उद्देश्य से या कंप्यूटर संदूषक (वायरस) के घुसपैठ या प्रसार की रोकथाम, पता लगाने, जांच, विश्लेषण, साइबर घटनाओं/सुरक्षा सहित, अभियोजन और उससे संबंधित अपराधों की सजा के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मुझे/हमें बैंक द्वारा किसी भी माध्यम से (टेलीफोन कॉल/एसएमएस/ई-मेल इत्यादि) बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं पर जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं/हम उपर्युक्त उद्देश्य के लिए बैंक/इसकी समूह कंपनियों/इसके एजेंटों/इसके प्रतिनिधियों को अधिकृत करता/करती हूँ/हैं। मैं/हम बैंक और उन व्यक्तियों या संस्थाओं को, जिनसे यह मेरा डेटा प्राप्त कर सकता है, या जिनके साथ यह मेरे डेटा को प्रकट या सत्यापित कर सकता है, किसी भी ऐसे डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता से मुक्त और हानिरहित रखने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम समझता/समझती हूँ/हैं कि, जहां तक किए गए परिवर्तन ग्राहक के हित में हैं, बैंक किसी भी समय भविष्य प्रभाव के साथ इस सहमति प्रपत्र में संशोधन या इसे पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मैं/हम एतद्वारा इस सहमति प्रपत्र के प्रमाणीकरण के उद्देश्य से अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त करने में कोई आपत्ति नहीं करता/करती/करते हूँ/हैं और अपनी सहमति देता/देती हूँ/हैं।

☐ Re-KYC:- I/We here by submit that there is no change in my KYC details.
पुनः-केवाईसी:- मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे केवाईसी विवरण में कोई परिवर्तन नहीं है।

Important Note : This form is to be used for such Deposit Accounts where the title remain the same as in case of existiing SB a/c. In case the Term Deposit is issued in name of existing depositor along with some other individual, then his/her KYC formalities must be fulfilled as per KYC Policy.
महत्वपूर्ण नोट: यह प्रपत्र ऐसे जमा खातों के लिए उपयोग किया जाना है जहां स्वत्वाधिकार मौजूदा बचत खाते के समान रहता है। यदि सावधि जमा मौजूदा जमाकर्ता के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी की जाती है, तो केवाईसी नीति के अनुसार उसकी केवाईसी औपचारिकताएं पूरी की जानी चाहिए।

1st Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

2nd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

3rd Applicant Signature
(Stamp, if applicable)

For Office Use

F.No. 003 (Version 02/2025)
फाइल नं. 003 (संस्करण 02/2025)

Transaction Entered by

Name & Employee ID

Approved By

Name & Employee ID

Signature of Branch Head/ Operation Head with Stamp

Name & Employee ID

S.No.